झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या....09........ वर्ष 20..24....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्रा०पो०- नावाटोली, प्र०-कोलेबीरा, जिला- सिमडेगा ।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि दि० 28.02.2024.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, सिमडेगा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–09/2024	

परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम पंचायत–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादीगण द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.12.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर शिकायत की गई थी जिसे आयोग द्वारा पत्रांक–WA/1063/2023 द्वारा कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को प्रेषित किया गया था। परिवादी का आरोप है कि उनके द्वारा समर्पित शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उल्लेखनीय है कि परिवादीगण द्वारा नावाटोली पंचायत के PDS डीलर अमरेन समद के विरूद्ध राशन वितरण में अनियमितता का आरोप से संबंधित परिवाद पत्र दिनांक–16.12.2023 को व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को समर्पित किया गया था जिसमें डीलर के विरूद्ध 03–06 महीने तक का राशन बाकी रखे जाने एवं हर माह कार्डधारियों से अंगूठा लगवा लिये जाने का आरोप लगाया गया था। उक्त मामले में कार्रवाई हेतु DGRO, सिमडेगा को आयोग के पत्रांक–WA/1063/2023 दिनांक–19.12.2023 द्वारा निदेशित किया गया था एवं पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु DSO, सिमडेगा को भी प्रेषित किया गया था। कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को अप्राप्त है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–09 / 2024	
11.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम+पंचायत–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेवीरा, जिला–सिमडेगा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमड़ेगा उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा सशरीर उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता दूरभाष के माध्यम से उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन एवं आज की सुनवाई में इस बात का उल्लेख किया है कि एक तो उन्हें अगस्त माह के बाद नवंबर माह में सिर्फ एक माह का राशन दिया गया है, जबकि हर माह कार्डधारियों से ठेप्पा ले लिया जाता है। शिकायतकर्ता ने इस बात का भी उल्लेख अपने आवेदन में किया है कि 03 से 06 महीने तक का कार्डधारियों का राशन बाकी है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता की सभी समस्याओं का निदान 07 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। साथ ही आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि दिनांक–13.03.2024 को दिन के 11 बजे कोलेवीरा प्रखण्ड के ग्राम+पंचायत–नावाटोली में जनसुनवाई आयोजित करें, जिसमें उस पंचायत के सभी लाभुक उपस्थित हों और सम्बन्धित राशन डीलर भी उपस्थित हों, जहाँ सबकी समस्याएँ सुन कर समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और वीडियोग्राफी की प्रति अगली सुनवाई में आयोग को समर्पित करेंगे। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। :\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx162	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–09 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम+पंचायत–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेवीरा, जिला–सिमडेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा उपस्थित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिनांक–13.03.2024 को ग्राम सभा तो कराया लेकिन राशन डीलर द्वारा अब तक सभी लाभुकों को बकाया राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग ने आज सशरीर सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के सामने शिकायतकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बताया कि जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, या जिन भी लाभुकों का राशन बकाया है, उन सबकी सूची तैयार कर सोमवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँ। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची की पड़ताल कर देखें कि क्या वाकई लाभुकों का राशन बकाया है। यदि ऐसा है तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी सभी लाभुकों को राशन बकाया सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग के आज के आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx168	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–09 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री तपेश्वर सिंह एवं अन्य, ग्राम+पं0–नावाटोली, प्रखण्ड–कोलेवीरा, जिला–सिमडेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। शिकायतकर्ता श्री तपेश्वर सिंह का कहना है कि उन्हें राशन मिल गया है, अब कोई शिकायत नहीं है। अन्य शिकायतकर्ताओं के संदर्भ में पूछे जाने पर श्री तपेश्वर सिंह ने कहा कि अन्य लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं, इस संबंध में जानकारी उनके पास नहीं है। अयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछले निदेश के आलोक में शिकायतकर्ताओं ने जो सूचि उपलब्ध कराई वो सुनवाई से दो दिन पहले उपलब्ध कराई। अतः यह चेक नहीं कराया जा सका है कि सभी को राशन उपलबध करा दिया गया है अथवा नहीं। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आग्रह को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित करता है और निर्देश देता है कि सभी ऐसे लाभुकों को राशन उपलब्ध करा दिया जाय, जिनका राशन बकाया है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को भेज दी जाय। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–09 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री तपेश्वर सिंह, ग्राम पं0–नावाटोली, प्र0–कोलेवीरा, सिमडेगा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिमडेगा व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री तपेश्वर सिंह ने कहा की उन्हें सहित अन्य सभी लोगों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। अतः अपीलकर्ता के आग्रह पर इस वाद को निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx26	